वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शास्वा
उत्तरांचल शासन

सं0: 1137/व.ग्रा.वि./2001 देहरादून: 23/7 2001

श्री अशोक पै
अपर सचिव

विषय : उत्तरांचल वानिकी परियोजना में संयुक्त वानिकी प्रबन्ध के अन्तर्गत अब तक हुए कार्यो का सघन विश्लेषण

उत्तरांचल वानिकी परियाजना के संबंध में केवल अप्रेजल मिशन के समय ही प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, जहाँ तक मुझे स्मरण पड़ता है राज्य पुनर्गठन के उपरान्त मेरे स्तर पर कोई विस्तृत समीक्षा, उपरोक्त अवसरों और कभी मा. मंत्री जी की उपस्थिति में अत्यन्त सूक्ष्म रूप में आयोजित नहीं की गई है ।

2 मैं चाहूंगा कि इस माह के अन्तिम सप्ताह में कोई तिथि निश्चित करके एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित करा लें जिसमें अन्तिम मिशन के दौरान उठाये गये बिन्दु और विशेषत: संयुक्त वानिकी प्रबन्ध की प्रगति पर विचार विमर्श कर लिया जाये ।

3 पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अब तक जो संयुक्त वानिकी प्रबन्ध की प्रगति हुई है उस पर मुझे एक संख्यात्मक और गुणात्मक (Quanttive & Qualitative) विवरण भी उपलब्ध करा दें । संयुक्त वानिकी प्रबन्ध परियोजना की उपरोक्त समीक्षा में प्रभागवार समितियों का गठन, प्रत्येक समिति के अन्तर्गत लिये गये आरक्षित वन क्षेत्र तथा अन्य वन क्षेत्र अलग से दर्शाया जाय और वन प्रभागवार अब तक आबटित धनराशि, प्रयुक्त ध नराशि के विवरण भी वन प्रभागवार प्रदर्शित किया जाये ।

4 संयुक्त वानिकी प्रबन्ध कार्यक्रम में जो अब तक की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उसको भी इस टिप्पणी में अकित कर दिया जाय ।

5 उत्तरांचल गठन के बाद उत्तरांचल से संबंधित वानिकी, वन्य जन्तु, प्रोटेक्टेड क्षेत्र के संबंध में प्रकाशित सामग्री का नितान्त अभाव चल रहा है अत: किस-किस प्रकार के प्रकाशन तथा एक विभागीय मुख पत्र को भी अविलम्ब प्रकाशित करने के संबंध में उक्त बैठक में निर्णय लिया जाय ।

6 उक्त बैठक में प्रमुख वन संरक्षक के अतिरिक्त समस्त मुख्य वन संरक्षक, परियोजना अधिकारी उत्तरांचल वानिकी प्रबन्ध परियोजना, प्रबन्ध निदेशक उत्तरांचल वन विकास निगम तथा समस्त वन संरक्षकों को बुला लिया जाय ।

7 उपरोक्त बैठक को हर दूसरे माह वन और ग्राम्य विकास आयुक्त शास्वा के सभा कक्ष में बुलाने की भी व्यवस्था की जाय ।

8 जो भी प्रमुख कार्यक्रम वानिकी तथा वन्य जन्तु क्षेत्र में चल रहे हैं उसके लिए प्रमुख वन संरक्षक तथा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से एक निर्धारित मासिक प्रगति प्रतिवेदन पर मुझे प्रगति भी प्रेषित की जाय । मासिक प्रगति प्रतिवेदन के लिए कोई नया रूप पत्र निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है इनके लिए जो मासिक प्रगति प्रतिवेदन के लिए कोई नया रूप पत्र निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है इनके लिए जो मासिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित हो उन्हें ही प्रयुक्त करके मुझसे अवलोकित करा लिया जाये । गैर वानिकी कार्यो के लिए भी स्वीकृति ले ली जाये ।

(डा0 आर एस0 टोलिया)
प्रमख सचिव
वन एवं ग्राम्य विकास
उत्ततरांचल